बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0–3/अ0प्र0–1–238/13 43 /पटना, दिनांक 1-7-2020

श्री शैलेन्द्र कुमार झा, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद के विरूद्ध वर्ष 2011–12 में शकुराबाद हजामपुर पथ से पंडौल तक पथ मरम्मति के बदले उसी नाम से अन्य पथ की मरम्मति किये जाने के कारण हुई वित्तीय क्षति एवं पथ का मरम्मति कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने के संबंध में कार्यपालक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन–2, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आलोक में आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 1217 अनु0 दिनांक 06.06.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मॉंग की गयी।

2. श्री झा के पत्रांक शून्य दिनांक 05.07.17 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध गठित आरोप पत्र को अद्यतन संशोधित विहित प्रपत्र में गठित कर विभागीय पत्रांक 3466 दिनांक 21.11.19 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण की मांग की गई। उक्त के आलोक में श्री झा द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांक 23.12.2019 समर्पित किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि शकुराबाद–हजामपुर पथ से पंडौल गॉव तक की पथ लगभग 2.5 से 3 कि0मी0 की है जो पूर्व से ही कच्चा था तथा मरम्मति की श्रेणी में नहीं आता था। माननीय विधायक द्वारा पथ मरम्मति की अनुशंसा किये जाने के आलोक में तदेन सहायक अभियंता द्वारा प्राक्कलन बनाते समय पथ के नामाकरण में त्रुटि के कारण संशय की स्थिति उत्पन्न हुई। श्री झा द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह भी उल्लेख किया गया है कि कि पथ की मरम्मति कार्य मार्च 2012 में कराया गया था एवं जॉच दिनांक 11.06.13 को की गई थी। वाहन के आवागमन से एक वर्ष 3 माह में मरम्मति कार्य में ह्रास होना स्वाभाविक है।

3. श्री झा से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग से कराई गई। मुख्य अभियंता–1 द्वारा समीक्षा में यह उल्लेख किया गया कि प्राक्कलन में पंचवर्षीय अनुरक्षण का प्रावधान नहीं है। अतः प्रथम वर्ष में 0.5 प्रतिशत Pot एवं द्वितीय वर्ष में 1 प्रतिशत तक Pot होना स्वाभाविक है। समीक्षोपरान्त मुख्य अभियंता–1 द्वारा श्री झा के स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य पाये जाने का मंतव्य दिया गया।

5. श्री झा के विरूद्ध गठित आरोप, उनका स्पष्टीकरण एवं मुख्य अभियंता–1 की समीक्षा के आलोक में प्रश्नगत मामले की समग्र समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री झा को निंदन एवं एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

6. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, श्री शैलेन्द्र कुमार झा, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल छपरा–2 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2007 के नियम 14 (i) एवं 14 (iv) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता हैः–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2011–12) एवं
(ii) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति।

30/06/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

(N.P) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–238/13 1240 /पटना, दिनांक :– 1.7.2020

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा–2/प्रशाखा पदाधिकारी–4, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री शैलेन्द्र कुमार झा, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/6/2020

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–238/13 1240 /पटना, दिनांक :– 1.7.2020

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/6/2020

अभियंता प्रमुख

(N.P) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

आई0 टी0 मैनेजर